

पत्रांक GMA/83/18

दिनांक 26/4/18

सेवा में,

निदेशक,
 (शोध एवं प्रशिक्षण)
 प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा विभाग,
 नया सचिवालय, पटना - 800001

विषय: **दो वर्षीय बी.एड पाठ्यक्रम का संबंधन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उड़ीसा) के क्षेत्रीय निदेशक के पत्रांक F.R.-223-1.2(V)2/ERCA.P.P.-2608.1.M.62/2016/49998 दिनांक 21/10/16 के द्वारा स्वीकृत की गयी मान्यता के आलोक में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अधिषद की दिनांक 05.02.18 के आहूत बैठक के मद संख्या 9938935 पर पारित प्रस्ताव के आलोक में पंजा शाखीय क्षेत्र ई.एड. कॉलेज काठज में दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2017-18 से 50 सीटों के साथ नामांकन की स्वीकृति एन.सी.टी.ई. की मान्यता जारी रहने तक निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है

1. प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के सम्मुख लिये गये शपथ-पत्र पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शपथ पूर्वक उल्लेख होगा कि एन.सी.टी.ई./राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश/बन्धेजों का अनुपालन किया जा रहा है।
2. एन.सी.टी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप महाविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों की नियुक्ति की है एवं उनकी आधार संख्या एवं पैर संख्या अभिलेखित की जा चुकी है।
3. महाविद्यालय प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित ई.पी.एफ. की सुविधा कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रदान करेगा। अधिषद के द्वारा संबंधन की स्वीकृति औपबंधिक होगी एवं उक्त संबंधन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (यथापरिवर्तित) की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधानों के आधीन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर नियमानुसार उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रबंधकीय गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रहेगी, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधन पूर्ण सहयोग करेगा। उपर्युक्त जाँच के परिणामों से एन.सी.टी.ई. राज्य सरकार एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी सूचित किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि अधिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर इसकी सूचना देने की कृपा की जाय।

- अनुलग्नक:-
1. अधिषद की बैठक का कार्यवृत्त।
 2. निरीक्षण प्रतिवेदन की मूलप्रति।
 3. संबंधन की शर्त।

विश्वासमाजन

हो-

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

दिनांक 26/4/18

ज्ञापक GMA/83/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित-

1. सचिव/प्रधानाचार्य, पंजा शाखीय क्षेत्र ई.एड. कॉलेज काठज
2. सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना 800001
5. प्रभारी शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
6. विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।

